सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.:सं. NCST/SER-1084/JH/69/2023-RO-RNC-RU-IV   दिनांक : 16.06.2025

सेवा मे,

अपर मुख्य सचिव
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखंड सरकार,
नेपाल हाउस, दोरंडा,
रांची, झारखंड 834002)

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती पीरी गाड़ी, ग्रामकुसई बस्ती-, डोरण्डा, राँची-834002 से प्राप्त अभ्यावेदन लोक " स्वास्थ्य संस्थान विभाग झारखण्ड नामकुम, राँची में अनुसेवक के पद पर पुनः दैनिक मजदूरी में नियुक्ति करने के संबंध में। "

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती पीरी गाड़ी,
ग्राम – कुसई बस्ती, डोरण्डा,
राँची, झारखंड – 834002
मोबाइल नं.: 9709245942

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-1084/JH/69/2023 -RO-RNC

लोक स्वास्थ्य संस्थान विभाग, झारखंड टाटा रोड, नामकुम रांची में दैनिक मजदूर अनुसेवक के पद पर पुनः नियुक्ति करने के संबंध में श्रीमती पीरी गाड़ी निवासी कुसई बस्ती, डोरण्डा, राँची, झारखंड की शिकायत दिनांक 22/09/2023 के मामले में दिनांक 30.05.2025 को 03:40 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक	:	30.05.2025 को 03:40 बजे।
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

1. अभ्यावेदिका श्रीमती पीरी गाड़ी निवासी कुसई बस्ती, डोरण्डा, राँची, झारखंड की शिकायत दिनांक 22/09/2023 को आयोग को प्राप्त हुई है। शिकायत में उन्होंने बताया है कि उनकी नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 23.11.2019 को लोक स्वस्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड मे अनुसेवक के पद पर हुई थी जिसमे इनकी सेवा पूर्ण रूप से ली जा रही थी। कुछ दिनों का वेतन भी इन्हे दिया गया। जैसे ही नए निदेशक डॉ विजय शंकर दास आए उन्होने 17/12/2019 को इनको कार्य से विश्राम दे दिया । इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नही है । अतः वे चाहती है की उन्हे पुनः नियुक्त किया जाए ।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, स्वस्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस दिनांक 13.10.2023 को भेजा गया । आयोग के नोटिस के प्रतिउत्तर में सम्बंधित कार्यालय से दिनांक 10.01.2024 की उत्तर/रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसकी छायाप्रति शिकायतकर्ता को सूचनार्थ भेजी गई |

3. शिकायतकर्ता ने सम्बंधित प्राधिकारी के उत्तर/रिपोर्ट दिनांक 10.01.2024 के सम्बन्ध में प्रत्युतर दिनांक 24.01.2024 भेज कर अपनी असहमति व्यक्त की है |

4. मामले में, आयोग द्वारा अपर मुख्य सचिव, स्वस्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ आयोग में सिटिंग तय की गयी तदनुसार सभी संबन्धित को सिटिंग पत्र जारी किए गए।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

5. मामले में अपर मुख्य सचिव की उपस्थिति नहीं हो सके। उनके स्थान पर निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, रांची उपस्थित हुए। उन्होंने अवगत कराया कि जिस समय श्रीमती पीरा गाड़ी को नियुक्त किया गया था, उसी समय तीन अन्य दैनिक वेतनभोगी अनुसेवकों की भी नियुक्ति की गई थी। उक्त अवधि में आदर्श आचार संहिता लागू थी। इस कारण, नियुक्ति में आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। फलस्वरूप, तात्कालिक अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार, श्रीमती गाड़ी सहित अन्य तीन कर्मियों को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिनों के भीतर सेवा से मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में, श्रीमती पीरा गाड़ी राज्य टी.बी. प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र, नामकुम, रांची में अस्थायी रूप से अंशकालिक सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत हैं, जिसके एवज में उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय संचालन मद से ₹12,708/- प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। तथापि, श्रीमती गाड़ी की लोक स्वास्थ्य संस्थान, रांची में पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि विभाग में इस प्रकार के पद हेतु कोई आवश्यकता नहीं है।

6. प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की गई :-

(i) वर्तमान में शिकायतकर्ता के अनुरोध पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। चूँकि दैनिक अनुसेवक का पद नियमित नहीं है, अतः लोक स्वास्थ्य विभाग भविष्य में इस प्रकार के विषयों में अपने अनियमित पदों से संबंधित नियमानुसार ही कार्रवाई करेगा।

(ii) चूँकि मामले में आयोग से किसी प्रकार की आगे की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, अतः उक्त प्रकरण को आयोग में समाप्त किया जाता है।

आशा लकड़ा
12/06/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1084/JH/69/2023-RO-RNC

Sitting to be held on 30.05.2025 at 03:40 P.M- अभ्यावेदिका श्रीमती पीरी गाड़ी, ग्राम-कुसई बस्ती, डोरण्डा, राँची-834002 से प्राप्त अभ्यावेदन "लोक स्वास्थ्य संस्थान विभाग झारखण्ड नामकुम, राँची में अनुसेवक के पद पर पुनः दैनिक मजदूरी में नियुक्ति करने के संबंध में" ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Additional Chief Secretary, Health Medical Education and Family Welfare Department**		
1.	Dr. John F. Kennedy Director, Institute of Public Health RANCHI	8294999290	[illegible] 30.5.25
2.			
3.			
4.			
5.			
6			